

महालेखाकार (ले. प. I) का कार्यालय,
केरल, तिरुवनंतपुरम - 695 001



Office of the Accountant General (Audit I)
Kerala Thiruvananthapuram-695 001

सं. प्रशा. (ले प)/III/MACPS/Vol. XII

दिनांक/Date: 02-01-2026

अनुभागीय आदेश सं. 340/SECTIONAL ORDER No. 340

श्री महेश आर, सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी को दिनांक 02.01.2026 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन निम्नोक्तानुसार प्रदान किया जाता है ।

Financial upgradation under MACP Scheme for Central Government employees has been granted to Shri.Mahesh R, Assistant Audit Officer as detailed below with effect from 02.01.2026.

वर्तमान स्तर Existing Level	नवीन स्तर New Level	पात्रता दिनांक Date of Eligibility	उन्नयन स्थिति Status of Upgradation
स्तर/Level 09	स्तर/Level 10	02.01.2026	द्वितीय एमएसीपी 2nd MACP

पदोन्नति दिए जाने पर वेतन निर्धारण का लाभ भी एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के समय दिया जाएगा। यदि वे एफआर 22(I)(क)(1) के तहत विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर लिखित रूप में विकल्प देना होगा ।

योजना के तहत वित्तीय उन्नयन दिए जाने पर पदनाम, वर्गीकरण या उच्चतर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि, वित्तीय और कुछ अन्य लाभ जो कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन से जुड़े हैं जैसे कि एचबीए, सरकारी आवास का आवंटन आदि की अनुमति होगी।

एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन कर्मचारी के लिए पूरी तरह से व्यक्तिगत होगा और उसकी वरिष्ठता स्थिति से इसका कोई संबंध नहीं होगा। योजना के तहत वेतन निर्धारण के कारण वरिष्ठ की तुलना में कनिष्ठ को अधिक वेतन मिलने पर वेतन में कोई वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।


The benefit of pay fixation on grant of promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under MACP Scheme. If he intends to exercise option under FR 22(I)(a)(1), he should give the option in writing within one month from the date of issue of this order.

On grant of financial upgradation under the Scheme, there shall be no change in designation, classification or higher status. However, financial and certain other benefits which

are linked to the pay drawn by an employee such as HBA, allotment of Govt. accommodation shall be permitted.

Financial upgradation under MACP Scheme shall be purely personal to the employee and shall have no relevance to his seniority position. No stepping up of pay would be admissible with regard to junior getting more pay than the senior on account of pay fixation under the Scheme.

(महालेखाकार के दिनांक 23.09.2025 के आदेशानुसार)
(Vide orders dated 23.09.2025 of Accountant General)



वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)
Senior Audit Officer (Admn.)

प्रतिलिपि / Copy to:

1. अनु. आ. पुस्तिका/SO Book
2. श्री महेश आर, सहा. ले प अ . Shri.Mahesh R, AAO
3. सभी समूह अधिकारी /All Group Officers
4. सभी शाखा कार्यालय /All Branch Offices
5. वरिष्ठ ले प. अ. /प्रशा. (ले प - II) Sr.AO/Admn (Au-II)
6. वरिष्ठ ले प. अ. / का. स्था. (बिल्स /रोकड़/हक.)- ले प - II/Sr.AO/OE (Bills/Cash/Entt)- Au II
7. का. स्था. (बिल्स /रोकड़/हक.)- ले प I/II/OE (Bills/Cash/Entt)- Au I/II
8. पीएओ/PAO I, II, III
9. गो. कक्ष/ हिन्दी कक्ष/ आई ए अनुभाग-ले प. - I/ ले प. -II/C.Cell/Hindi Cell/IA Section- Au I/II
10. सेवा संघ/Service Associations
11. सूचना पट्ट /Notice Board
12. व्यक्तिगत फ़ाइल/Personal File